



भारत का राजपत्र के भाग-1, खण्ड-2 में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांकित: 14 जनवरी, 2013

अधिसूचना

सं. ए-32013/1/2012-प्रशासन-1: कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26.11.2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/11/2011-सीएस.1 (यू) के द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के ग्रेड-I (अवर सचिव) पर नियुक्ति हेतु वर्ष, 2010 की चयन सूची में नियमित आधार पर उनका नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति द्वारा वर्तमान में सीसीएस के निम्नलिखित अधिकारियों को वर्ष 2010 की चयन सूची में नियमित आधार पर सीएसएस के ग्रेड-I (अवर सचिव) के पद पर शहरी विकास मंत्रालय के काडर में नियुक्त किया जाता है:

क्र. सं.	नाम	सीएसएस सं.	जन्म तिथि	एसओएसएल
1	श्री आर.आर. सिंह	6569	12.08.1961	1999
2	श्री अरविंद नाथ झा	6633	02.08.1965	2000
3	श्री संजय कुमार गुप्ता	6677	10.07.1965	2001

2. नियमित आधार पर ग्रेड-I (अवर सचिव) में उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति ऊपर उल्लिखित कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में दिए गए नियम व शर्त।

Jitendra Kumar

[जितेन्द्र कुमार]
भारत सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद, हरियाणा

प्रतिलिपि:

1. शहरी विकास मंत्री के निजी सचिव/राज्यमंत्री (शहरी विकास) के निजी सचिव/मंत्री (आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय) के निजी सचिव।
2. सचिव (शहरी विकास) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/सचिव (आवास और शहरी गरीबी उपशमन) के निजी सुरक्षा अधिकारी/अपर सचिव (शहरी विकास) के प्रधान निजी सचिव।
3. दोनों मंत्रालयों में सभी संयुक्त सचिवों के प्रधान निजी सचिव/विशेष कार्य अधिकारी (यूटी) के निजी सचिव/आर्थिक सलाहकार के निजी सचिव/सीसीए के निजी सचिव।
4. संबद्ध कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के सभी प्रमुख।
5. दोनों मंत्रालयों में सभी निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव।
6. निदेशक (सीएस-1) (श्री उत्कार्ष आर. तिवारी), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, द्वितीय मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली को उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में।
7. शहरी विकास मंत्रालय में सभी विभाग/प्रकोष्ठ/अनुभाग/डेस्क।
8. संबंधित अधिकारी (मूल नियम 22 के तहत उनका वेतन निर्धारित करने के लिए नया विकल्प लेने के अनुरोध से, यदि अपेक्षित हो। तथापि, ऐसे अधिकारी यह विकल्प लेने के पात्र नहीं होंगे, जिन्होंने स्पिलट विकल्प का लाभ लिया था।)
9. मंत्रालय की वैबसाइट पर अद्यतन करने हेतु एनआईसी।
10. अधिसूचना मिसिल/सेवा पुस्तिका सीट/सीआर सीट/व्यक्तिगत मिसिल सीट।

(आर.के. झा)
अनुभाग अधिकारी